कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़।

–: अल्पकालिन निविदा :–

रामगढ़ जिलांतर्गत जे0एस0एस0के0 एवं अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत दवा, सामग्री, लैब संबंधी समाग्री एवं ई0डी0एल0 दवा इत्यादि क्रय करने की आवश्यकता है। इसके लिए इच्छुक दवा निर्माता कंपनी/प्राधिकृत स्टॉकिस्ट/एजेंसी से निम्नांकित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. इच्छुक निविदादाता अपना निविदा निबंधित डाक द्वारा या हाथों–हाथ मोहरबंद लिफाफा में दिनांक 31.08.2015 को संध्या 04 बजे तक सिविल सर्जन, रामगढ़ के नाम से डाल सकते हैं।
2. दिनांक 31.08.2015 को संध्या 04 बजे के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा दाता दवा/रसायन/उपस्कर एवं सामग्री की सूची कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से 2000/– रूपये (दो हजार) का ड्राप्ट जिला ग्रामीण स्वा0 समिति, रामगढ़ के नाम से कार्यालय अवधि में जमा कर दिनांक 31.08.2015 पूर्वाहन 12 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं, जिसे वापस नहीं किया जायेगा।
4. प्राप्त निविदा दिनांक 01.09.2015 के अपराह्न 02 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदादाता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा।
5. निविदा के साथ 15000/– रुपये का अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट जो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, रामगढ़ के नाम से भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. अनुमोदित दर एल–01 वाले दवा कंपनी या प्राधिकृत स्टॉकिस्ट को दवा आपूर्ति आदेश निर्गत करने के आलोक में दवा या सामग्री की आपूर्ति समयोपरांत नहीं करने की स्थिति में संबंधित फार्म को काली सूची में डाल दी जायेगी तथा अग्रधन राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
7. निविदा से संबंधित किसी प्रकार का विवाद का न्यायिक क्षेत्र, रामगढ़ होगा।
8. संबंधित निविदा दाता को अद्यतन आयकर, ब्रिकी कर/स्वच्छता प्रमाणपत्र/वाणिज्य कर प्रमाण पत्र/ड्रग लायसेंस एवं संस्था काली सूची में नहीं है का शपथ प्रमाण पत्र (100/– रूपये के Stamp) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. यदि निविदादाता द्वारा अंकित दर पर एल–1 बहुत ही कम संख्या में पाया जाय जो उस दर पर यदि अधिक संख्या में न्यूनतम पाया गया निविदादाता तैयार हो तो उन्हें अपूर्ति आदेश देने पर विचार किया जा सकता है।
10. औषधि के मामले में WHO/GMP का प्रमाण पत्र।
11. एजेंसी को विगत तीन वर्षों का ऑडिट बैलेंस सीट देना होगा जिसका Minimum Average Turn Over प्रति वर्ष 50,00000/– (पचास लाख) होना चाहिये।
12. किसी भी निविदा दाता का निविदा रद्द करने की शक्ति समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
13. आपूर्ति की गयी दवा/रसायन/उपस्कर एवं सामग्री का गुणवत्ता निम्नस्तर का पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता के द्वारा अपने खर्च पर दवा का प्रतिस्थापन (Replacement) मानक गुणवत्ता वाले दवा/रसायन/उपस्कर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
14. दवा के मामले में आपूर्तिकर्ता फार्म उनके कंपनी द्वारा दवा का टेस्ट प्रमाणपत्र बैचवाईज के अनुसार दवा आपूर्ति के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. जिसके लिए जो फर्म निविदा डालेंगे उसका निबंधन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. दवा का दर सभी कर/अधिभार सहित देय होगा, जिसके लिये अलग से किसी भी प्रकार का राशि देय नहीं होगा।
17. अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये जगह पर दवा/सामग्री पहुंचाना होगा।
18. निविदा दो अलग–अलग लिफाफ में वित्तीय बीड एवं तकनिकी बीड को एक बड़े लिफाफ में डालकर देना होगा, जो एजेंसी तकनिकी बीड में पास करेगा उसी का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
19. आपूर्ति दवा/सामग्रियो का Self Life आपूर्ति के समय 80 प्रतिशत होना चाहिये।

असैनिक शल्य चिकित्सक
सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
रामगढ़।